अवैध कब्जे / निर्माण और सीएलयू बन चुके धंधे की पर्दादारी के लिए सतीश पाराशर को निलंबित किया गया

फ़रीदाबाद (म.मो.) भ्रष्ट राजनेताओं व उनके इशारों पर नाचने वाले महाभ्रष्ट अफ़सरों के गठजोड़ के चलते सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़े व अवैध निर्माण के साथ-साथ सीएलयू (भूमि उपयोग परिवर्तन) ने मोटी लूट कमाई के एक बड़े कारोबार का रूप लिया हुआ है। इस करोबार को विकसित एवं अधिक लाभदायी बनाने के लिये जरूरी है कि नेता व नगर निगम के अधिकारी लोग़ों को इस काम के लिये लगातार आकर्षित करते रहें।

कोई नागरिक यदि कानूनी ढंग से भूखंड खरीद कर नक्शा पास करा कर कोई निर्माण करना चाहे तो नगर निगम के कर्ता-धर्ता उसकी राह में हर तरह से रोड़े अटका कर उसे अवैध तरीके से निर्माण करने के लिये प्रोत्साहित करते हैं। इतना ही नहीं इनकी भेंट-पूजा किये बिना यदि कोई कानूनी रूप से वैध निर्माण कर भी ले तो उसे तोड़ कर अपनी अथाह शक्ति का प्रदर्शन करने से भी नहीं चूकते।

कोई भी अवैध कब्ज़ा व निर्माण चोरी छिपे नहीं हो सकता। क्योंकि यह किसी बंद कमरे में न होकर खुले मैदान व सड़क किनारे होता है। इसकी सुचना तुर्त-फुर्त नगर निगम के सम्बन्धित अधिकारियों को हो जाती है और वे मौके पर पहुंच कर अपना सौदा फ़िर कर लेते हैं। जब निर्माण कार्य पूरा हो जाता है तो बड़े अधिकारी अपना मुंह खोलते हैं। अपनी शक्तियों का भय दिखा कर सौदा तय करते हैं। जरूरी हो तो छोटे से एक कोने को तोड़ने का दिखावा भी कर देते हैं। बाद में उसे कुछ जुर्माना आदि लगा कर कम्पाऊंड कर देते हैं।

इस शहर में आज तक एक भी इमारत का ऐसा उदाहरण नहीं है जिसे नगर निगम ने तोड़ा हो और वह कुछ दिनों बाद सही सलामत बनकर आबाद न हो गया हो। सीलिंग का ड्रामा तो और भी जोरदार है। सेक्टर 10 व 7 की हाऊसिंग बोर्ड की दुकानों सहित अनेकों दुकानें व फ्लैट कई बार सील हो चुकने के बावजूद आज ज्यों के त्यों आबाद हैं।

विदित है कि तोड़-फ़ोड़ व सीलिंग की कार्यवाही पर भारी प्रशासनिक खर्च होता है

निलम्बित सीनियर टाउन प्लानर सतीश पाराशर

जबकि इसका परिणाम जीरो निकलता है। हां, इसके जरिये नेताओं व अफ़सरों की मोटी लूट कमाई अवश्य हो जाती है। यदि सरकार वास्तव में ही इस अवैध कारोबार को रोकना चाहती है तो सबसे पहले निगम के उन छोटे-बड़े अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमे दर्ज कराये जिनकी मिलीभगत से यह काम होता है और इसके साथ-साथ अवैध निर्माणकर्ता को भी गिरफ़्तार करे। बस कुछ ही बड़े मामलों में इतना ही करने की जरूरत है। न तो फ़िर कोई अवैध कब्जे करने की हिम्मत करेगा और न ही निर्माण। यदि ऐसा हो गया तो भ्रष्ट नेता व अफ़सर कहां से खायेंगे ?

पिछले दिनों अवैध सीएलयू को लेकर हरियाणा विधान सभा में हंगामा मचने पर खट्टर सरकार ने नींद से उठने का दिखावा करते हुए अपने फ्लाईंग स्कवायद से जांच रिपोर्ट मांगी जो तुर्त-फुर्त आ भी गयी। उसी रिपोर्ट को आधार बना कर नगर निगम के एक अधिकारी (वरिष्ठ टाऊन प्लानर) सतीश पाराशर को निलम्ति कर दिया। यहां प्रश्न यह उठता है कि क्या सतीश पाराशर अकेला ही सब कुछ करने में सक्षम था ? उनके ऊपर बैठे अन्तिम स्वीकृति देने वाले अफ़सरों की कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी ?

विधान सभा में हंगामे से पहले सतीश पाराशर से जुड़ा प्रकरण हाई कोर्ट में भी उछल चुका था। हाई कोर्ट ने जब सीएलयू की सरकारी नीति पर रोक लगा रखी थी तो अधिकारियों ने सीएलयू कर कैसे दिया ? इसी मुद्दे को लेकर सूचना अधिकार कार्यकर्ता कृष्ण लाल गेरा ने सरकार के खिलाफ़ हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। उस पर नोटिस होते ही सरकार की नींद हराम होने के बावजूद खट्टर ने विधान सभा में अनजान होने का नाटक किया था।

नगर निगम अधिकारियों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर चलने वाले सीएलयू व अवैध निर्माणों पर नकेल कसने में कृष्ण लाल गेरा का पुराना योगदान रहा है। गेरा की इस कार्यवाही से लूट कमाई का मोटा कारोबार करने वालों का भारी आर्थिक चोट लगी अब उन्होंने ने गेरा को ब्लैकमेलर का खिताब दे दिया है।

यदि पीड़ितों के आरोप को सच मान भी लिया जाय तो सवाल यह भी उठता है कि वे लोग ऐसे काले धंधे करते ही क्यों हैं जिनके विरुद्ध किसी गेरा को हाई कोर्ट तक जाना फायदेमंद पड़े ? और यदि उन्होंने कोई काला धंधा किया ही नहीं तो वे ब्लैकमेल होते क्यों हैं ? क्या वे चाहते हैं कि वे जो मर्जी, जेसे चाहें काले-पीले धंधे करते रहें और कोई गेरा या वरूण श्योकंद उन पर सवाल भी खड़ा न करे ?

नगर निगम के उपमहापौर मनमोहन गर्ग भी इन मुद्दों को लेकर अब कुछ सक्रिय नज़र आने लगे हैं। वास्तव में देखा जाये तो नगर निगम सदन की शक्तियां निगमायुक्त से अधिक होती हैं। निगमायुक्त तो केवल सदन द्वारा बनाई गयी नीतियों व कार्यों का क्रियान्वयन करता है। परन्तु यहां तो महापौर सहित सारा सदन सदा से ही निगमायुक्त के चरणों में बैठने का आदि है।

फिलाहल मनमोहन गर्ग कभी निगमायुक्त तो कभी ज़िला उपायुक्त को पत्र लिखकर गुहार लगा रहे हैं। इन पत्रों में वे सभी विभागों द्वारा विचार विमर्श करके एक समन्वित कार्यवाही की रूप रेखा तय करने की बात कहते हैं। गर्ग को शायद यह मालूम नहीं कि इस तरह के विचार विमर्श पिछले कई बरसों से होते आ रहे हैं। परन्तु सवाल विमर्शों से आगे बढ कर ठोस कार्यवाही करने का है। इसके लिये आवश्यक है राजनीतिको के लालच पर लगाम, जिसका नितांत अभाव है।

हमारे देश के बड़े नामचीन पत्रकारों, संपादकों ने अपनी आत्मा अपने संस्थान के मालिकों के पास गिरवी रख दी है

गिरीश मालवीय

यदि मीडिया के धुरंधरों ने आत्मा बेच न रखी होती तो यह ख़बर बड़े बड़े काले हर्फों में फ्रंट पेज पर छप रही होती, और ब्रेकिंग न्यूज़ बनकर आपके टीवी स्क्रीन पर हेडलाइन के रूप में चल रही होती।

आपको शायद यह तो पता लग गया होगा कि लोकसभा में राजनीतिक पार्टियों के चंदे से संबंधित विधेयक को बिना बहस के पास कर दिया गया है .....यह कोई छोटा मोटा विधेयक नही था, यह देश के लोकतंत्र की आत्मा को बेच देने वाला विधेयक था।

दरअसल इस विधेयक द्वारा विदेशी अंशदान (नियमन) अधिनियम (एफसीआरए)2010 में संशोधन किया गया है। यह अधिनियम राजनीतिक दलों को विदेशी कंपनियों द्वारा मिले चंदे पर रोक लगाता है।

वैसे तो भारत सरकार ने वित्त विधेयक 2016 के जरिए एफसीआरए में संशोधन कर राजनीतिक दलों के लिए विदेशी चंदा लेने को आसान बनाया था लेकिन अब ताजा संशोधन के बाद पार्टियों को 1976 से मिले विदेशी चंदे की जांच की कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी।

ध्यान दीजिएगा 1976 से , यानी इससे बीते 42 वर्ष में राजनीतिक दलों को हुई तमाम विदेशी फंडिंग वैध हो गई है। कानून की भाषा मे इसे भूतलक्षी प्रभाव से किया गया संशोधन कहा जाता है इस तरह के संशोधन की अनुमति बहुत विषम परिस्थितियों में ही दी जानी चाहिए।

अब आते हैं पोस्ट के मूल विषय पर आखिर इस तरह के रेयर किस्म के प्रावधान को लागू क्यों करना पड़ा ?

2017 की शुरुआत में गैर-सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की ओर इस याचिका में एडीआर ने केंद्र सरकार पर अदालत की अवमानना करने का आरोप लगाया।

दरअसल 2014 में दिल्ली हाई कोर्ट ने पाया था कि भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों ने ब्रिटेन स्थित कंपनी वेदांता रिसोर्सेज की भारतीय सहायक कंपनियों से चंदा लेकर फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (एफसीआरए) का उल्लंघन किया था।

एफसीआरए की धारा-4 राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों पर विदेशों से चंदा लेने पर रोक लगाती है। उस वक्त दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्रीय गृह मंत्रालय को छह महीने के भीतर कांग्रेस और भाजपा दोनों के खातों की जांच करने और उन पर कार्रवाई करने का आदेश दिया था। लेकिन न तो चुनाव आयोग ने कुछ किया और न ही गृहमंत्रालय द्वारा कोइ कदम उठाए गए।

जुलाई 2017 में एडीआर की याचिका पर कार्यवाही करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के रवैए पर सवाल उठाया, अदालत ने पूछा कि आखिर केंद्र सरकार इस मामले में कोई कदम क्यों नहीं उठाना चाहती.सरकार ने उस वक्त अदालत में दलील दी थी कि उसे रिकार्ड खंगालने के लिए 31 मार्च 2018 तक का वक्त दिया जाए।

अदालत ने 8 अक्टूबर 2017 मामले में कार्रवाई करने के लिए केंद्र को आखिरी छह हफ्ते का समय दिया था लेकिन यह छह हफ़्तों की अवधि यानी लगभग डेढ़ महीना तो दिसम्बर 2017 में ही खत्म हो गयी थी।

तो सवाल उठता है कि उसके बाद अदालत ने क्या किया ?बहुत ढूंढने पर भी जवाब तो नही मिला पर यह जरूर मालूम पड़ा कि दिल्ली हाई कोर्ट की कार्यवाहक चीफ जस्टिस गीता मित्तल जो जस्टिस सी हरिशंकर के साथ मिलकर यह मुकदमा सुन रही थी उन्हें केंद्र सरकार ने 8 मार्च 2018 को नारी शक्ति पुरस्कार से नवाज दिया।

यह कोई साधारण पुरस्कार नही है बल्कि यह तो महिलाओं को मिलने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान है जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए गए कामों के लिए विश्व महिला दिवस पर ही दिया जाता है।

उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने कई ट्वीट कर जस्टिस मित्तल को पुरस्कार दिए जाने पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने ट्वीट में कहा कि कार्यरत जजों ने सरकार से पुरस्कार स्वीकार किए ? कभी नहीं, मुझे आशा है कि उनमें इसे ख़ारिज करने की ताक़त है।

उन्होंने न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े करते हुए अगला ट्वीट किया बहुत से तरीके हैं जिनके ज़रिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता को नष्ट किया जा सकता है, जिनमें से किसी कार्यरत जज को सम्मान दिया जा सकता है, खासकर महिला को।

लेकिन अंतोतगत्वा जस्टिस गीता मित्तल ने 8 मार्च को राष्ट्रपति कोविंद के हाथों से यह पुरस्कार स्वीकार कर लिया।

अब आप इस पुरस्कार के दिए जाने को और वो भी ऐसे महत्वपूर्ण मामले में उनके जुड़े होने को कैसे देखते हैं यह मैं तो नही कह सकता ! पर अब मैं उन चार सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की बात से पूर्ण रूप से सहमत हो गया हूँ जो 12 जनवरी 2018 को एक ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गयी थी कि देश का लोकतंत्र खतरे में है।

क्लब सदस्यों ने मंत्री विपुल को दिखाया जिमखाना का गंदखाना !

सरकारी कार्यालयों, स्कूलों व अस्पतालों का गंद कब देखेंगे मंत्री जी ?

फ़रीदाबाद (म.मो.) हूडा (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण) द्वारा निर्मित एवं संचालित सेक्टर 15 ए स्थित जिमखाना क्लब में 17 मार्च को पहुंचे स्थानीय विधायक एवं मंत्री विपुल गोयल। कार्यक्रम पूर्व निर्धारित होने के बावजूद भी क्लब अधिकारियों ने सफ़ाई व्यवस्था को ठीक करने की कोई जरूरत नहीं समझी। लगता है क्लब अधिकारियों ने गोयल को मन्त्री न मान कर अपने ही शहर का छोरा मान लिया। शौचालय सड़ रहे थे, रेस्तरां व बार में गंदगी एवं बदबू के चलते बैठने का कोई माहौल नहीं था। खाना किसी काम का नहीं, स्वीमिंग पूल में काई जमी हुई थी।

विदित है कि 'हूडा' ने अपने प्लॉट होल्डरों के पैसे से उन्हीं के लिये इस तरह के दो क्लब (दूसरा सेक्टर 21 में) बनाये हैं। इसका सदस्य बनने के लिये 'हूडा' प्लॉट होल्डरों से 75000 रुपये तथा अन्य से 2 लाख 25000 रुपये शुल्क लेता है। इसके बाद मासिक 500 रुपये वसूलता है। क्लब में आकर खाने-पीने का जो भी बिल बनेगा वह तो हाथ के हाथ देना ही होगा। क्लब का पूरा प्रबन्ध 'हूडा' के पास होता है और 'हूडा' प्रशासक ही इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। इस नाते लगभग सभी 'हूडा' प्रशासकों के घर-किचन व मेहमानों का खर्चा भी इसी क्लब के ज़िम्मे रहता है। सदस्यों को बेशक गला-सड़ा-बासी खाना मिले परन्तु प्रशासकों को हमेशा बेहतरीन पंचसितारा भोजन से नवाजा जाता है।

खाद्य एवं पेय पदार्थों से भी इन अफ़सरों की तसल्ली हो जाती तो भी लोग सबर कर लेते, यहां तो सदस्यों का मोटा पैसा भी अफ़सर लोग डकार गये। क्लब की शुरूआत में इसके पास 5 करोड़ का फ़िक्स डिपॉज़िट था जो अब घट कर मात्र एक करोड़ का रह गया, बहुत जल्द वह चट होने वाला है।

संदर्भवश सुधी पाठकों को याद दिला दें कि एक बार यहां अशोक खेमका को बतौर 'हूडा' प्रशासक नियुक्त कर दिया गया था। ज्यों ही उन्हें जिमखाना में हो चुके घोटाले की भनक लगी, उन्होंने सम्बन्धित फ़ाइलें तलब कर ली। उन तक फ़ाइलें पहुंचने से पहले यह खबर पूर्व प्रशासक बिजेन्द्र सिंह तक पहुंच गयी। उन्होंने तुरन्त चंडीगढ में बैठे अपने आकाओं को दबताया। चंद घंटों में खेमका जी को यहां से चलता कर दिया गया। परिणामस्वरूप इन क्लबों में लूट-खसूट का सिलसिला खूब फ़लता-फूलता आ रहा है।

क्लब की खस्ता हालत देख कर इस बार मन्त्री जी ने भी वहां मौजूद मैनेजरों आदि को धमका कर अपने मन्त्री होने का सबूत दे दिया। वैसे जानते तो मन्त्री जी भी हैं कि जिनको धमकाया है उनके पल्ले कुछ भी नहीं, जिसके पल्ले है उसे कुछ कह पाने का दम मन्त्री में नहीं। क्योंकि वे आईएएस अफ़सर होते हैं और 2-4 महीने की तैनाती का सौदा करके यहां आते हैं, वे क्या परवाह करें विपुल गोयल की।

किसी भी क्लब की तरह जिमखाना की सदस्यता भी ऐच्छिक है, कोई जरूरी नहीं कि जेब से पैसे भी दे और फ़िर सरकार के इस भ्रष्ट गंदखाने में जाकर बैठे। इतना ही नहीं इस गंदखाने की सदस्यता पाने के लिये फ़ीस के अलावा मोटी-मोटी सिफ़ारिशें भी लगवाई जाती हैं। जाहिर है यह काम निट्ठल्ले एवं धनी लोग ही कर सकते हैं। इन्हीं लोगों ने मन्त्री को अपने क्लब का हाल दिखाने के लिये आमन्त्रित भी कर लिया। हो सकता है मन्त्री जी की फ़टकार कुछ काम कर जाये और क्लब सदस्यों को कुछ राहत मिल जाये।

परन्तु शहर की उस 95 प्रतिशत जनता की ऐसी ही फ़रियादें मन्त्री जी कब और कैसे सुनेंगे जिनको मजबूरी में उफ़नते सीवरों को झेलना पड़ता है जिनके बच्चों के स्कूलों में शौचालय या तो हैं नहीं या सड़ रहे हैं। तमाम सरकारी दफ़्तरों व अस्पतालों के शौचालयों का भी हाल बेहाल है। अधिकारियों ने अपने लिये अलग शौचालय बना रखे हैं। कुत्ते व बन्दरों के काटने से लोग परेशान हैं, सरकारी अस्पतालों में रेबिज़ के टीके तक नहीं होते। सड़कों पर गाय माता व सांड पिता आये दिन दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। ज़रा इन फ़रियादों पर भी मंत्री जी ध्यान दे लेते तो जनता कुछ राहत महसूस कर लेती।

जय शाह : भला चोर | **कार्ति चिदम्बरम : बुरा चोर**

श्रीमंत क के भाषण के बीच दीवारभेदी तालियां बजीं जब उन्होंने कहा कि पूँजीवाद दो प्रकार का होता है - अच्छा और बुरा....

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 1 डी/2बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06